शपथ पत्र व गवाह दयाराम पुत्र खिल्लीराम मीना निवासी समलेटी व आलमसिंह पुत्र जगनलाल मीना निवासी समलेटी के शपथ पुत्र प्रस्तुत किये है जिनसे भी वादीगण के वाद पत्र के तथ्यों की पुष्ठि होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते है कि वादीगण अपने वाद पत्र को प्रमाणित करने में सफल रहे है तथा वादीगण का वाद डिकी योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद डिकी किया जाकर ग्राम समलेटी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 1082/0.14, 1214/0.30 कुल किता 2 रकबा 0.44 हैक्टयर ,खसरा नम्बर 1132/0.20, 1133/1/0.03, 1134/1/0.01, 1137/1/0.01, 1138/1/0.01, 1140/1/0.01, 1141/1/0.01, 532/1/0.01, 533/1/0.01, कुल किता 9 रकबा 0.12 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1057/2/0.30, 1083/2/0.41, 1136/2/0.18, 21/3/0.13, 22/0.03, 23/1/0.25, 529/2/0.16, 530/2/0.14, 538/0.23, 539/0.02, 540/0.30 कुल किता 11 रकबा 2.15 हैक्टयर में लडडूराम पुत्र रामगिलास व हरपति पत्नि रामगिलास के स्थान पर अमित कुमार पुत्र रामविलास व हरपति पत्नि रामविलास को खातेदार घोषित किया जाता है। खातेदार लडडूराम पुत्र रामगिलास व हरपति पत्नि रामगिलास की प्रविष्ठि को समाप्त की जाकर नवीन प्रविष्ठि अमित कुमार पुत्र रामविलास व हरपति पत्नि रामविलास दर्ज की जावे। शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी। तदनुसार डिकीजारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21-01-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)